पत्रांकः 15406 पू०वि०वि०/सा०प्रशा०/एफ– /2010 दिनांक : 24.04.2010

सेवा में,

श्री शैलेश कुमार प्रजापति
पुत्र श्री रामफेर राम
ग्राम व पो०– मघत्तिया
आजमगढ़।
मो०नं० 9651983602

महोदय,

दिनांक– 22.04.2010 को सम्पन्न साक्षात्कार के आधार पर विश्वविद्यालय के [illegible] संकाय के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इं० विभाग में एक वर्ष के लिये संविदा पर आपकी नियुक्ति का प्रस्ताव है। उक्त के आधार पर आपकी नियुक्ति का विस्तरण आपकी वार्षिक अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर होगा, जो अधिकतम कुल [illegible] वर्ष तक अर्थात् (सत्र 2012–2013 तक ही) प्रभावी होगा। वार्षिक अप्रेजल रिपोर्ट संतोषजनक न होने की दशा में आपकी सेवा के विस्तरण पर कोई विचार नहीं होगा।

2. आपको रू० 20,000/– (बीस हजार मात्र) नियत मानदेय प्रति माह देय होगा और इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
3. कार्यभार ग्रहण करते समय रू० 20/– मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर संविदा (सेवा शर्तों आदि के उल्लेख सहित) बाध्यकारी होगी।
4. प्रस्तर–3 में उद्धृत संविदा के आधार पर सेवा विस्तरण/निरन्तरता या भविष्य में किसी पद पर विनियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
5. सन्दर्भित नियुक्ति विभागीय शैक्षणिक कार्य में उदासीनता एवं शिक्षकों हेतु निर्धारित आचार संहिता के फलस्वरूप होने वाली अनुशासनहीनता आदि के कारण सेवायें कभी भी समाप्त की जा सकेंगी। इस विषय में कुलपति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
6. किसी भी कार्यदिवस पर अनुपस्थित रहने अथवा विभागीय पठन–पाठन कार्य न करने की स्थिति में आनुपातिक दर से माह के नियत मानदेय से कटौती कर ली जायेगी।
7. आप से अपेक्षा है कि दिनांक 30.04.2010 तक गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर संविदा कर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा की स्थिति में प्रस्ताव स्वयं निष्प्रभावी हो जायेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभारी/विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजी० विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्तावित प्रवक्ता के अतिरिक्त ऐसे अन्य प्रवक्ताओं से कार्य न लिये जाय जिनकी संस्तुति चयन समिति द्वारा नहीं की गयी है।
2. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, प्रशासन।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपतिजी के सूचनार्थ।
4. आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
5. अधीक्षक, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्तावित प्रवक्ता के अतिरिक्त ऐसे अन्य प्रवक्ताओं से कार्य न लिये जाने के निर्देश प्रभारी/विभागाध्यक्ष को दिये जा चुके हैं, यह अनुश्रवण अपने स्तर से करने का कष्ट करें।
6. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

सहा० कुलसचिव

H.O.
C.H.C. Sahjanwa
Gorakhpur

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

Scanned with CamScanner